



16/10/86

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]
No. 36]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1986/भाद्र 15, 1908
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1986/BHADRA 15, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (गंध राज्य क्षेत्र प्रशासकों को छोड़कर)
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and
the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1986

सा. का. नि. . . . 688:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विधि और न्याय मंत्रालय (विधि
कार्य विभाग) पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) और पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) भर्ती नियम, 1979 को उन बातों के विषय में अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण के
पूर्व में किया गया था करने से खोप किया गया है, विधिकार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) और पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) के पदों
पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) और पुस्तकालयाध्यक्ष
(श्रेणी 3) भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) और पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन-
मान वे होंगे जो क्रमशः इससे अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि:

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो संबंधित अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहंता—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(2429)

8	9	10	11
Degree with physics as one of the subjects from a recognised University; OR Degree in Electrical Engineering from a recognised University or equivalent degree; OR Diploma in Sound Recording and Sound Engineering awarded by the Film and T.V. Institute of India, Pune. Desirable : Knowledge of Wireless or Radio Engineering.			limited departmental competitive examination.
12	13	14	
Promotion Senior Technicians in All India Radio/Doordarshan with 5 years' service in the grade or in a higher grade, rendered after appointment to the grade on a regular basis. Limited Departmental Competitive Examination : Senior Technicians in All India Radio/Doordarshan with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis, or with 8 years' total service in the grade of Technician and Senior Technician rendered after appointment to these grades on a regular basis. If Senior Technicians with requisite length of service are not available, then Mast Technicians/Diesel Technicians who have put in 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Footnote : All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules 1964 were promulgated vide Ministry of Information & Broadcasting Notification No. GSR 1776 dated 30th Nov., 1964. Subsequently, superceded partially under the Notification of the Govt. of India in the Ministry of I & B No. 704/11/77-B(D), dated 10th May, 1979 with GSR No. 76, dated 2nd June, 1979, and amended under the notification of the Govt. of India in the Ministry of I & B No. 704/11/77-B(D), dt. 7-2-81 and No. 310/10/82-B(D), dt. 7th May, 1985.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— (i) Director (Engineering) dealing with administration — Chairman (ii) An Engineering officer of the level of Deputy Director (Engineering) from All India Radio/Doordarshan dealing with administration—Member (iii) A Group 'A' Engineering Officer of another Department having requisite technical background — Member	Not applicable.	

[No. 301/4/83-बी(डी)-ए II]

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1986

सा.का.नि. 728—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ख" राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ख" राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1985 की प्रसूची के स्तंभ 8 में "(3 वर्षीय पाठ्यक्रम) कोष्ठकों, अंक और 662 Q/86—18

शब्दों के स्थान पर "(2 वर्षीय पाठ्यक्रम)" कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे।

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3(i) तारीख 6-3-62 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 347, तारीख 6-3-62 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे :—

(1) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/4/83-बी (डी) ए II तारीख 8-8-85।

[सं. 301/4/83-बी(डी)-ए II]
जे० जी० भाटिया, जवर अधिकारी

New Delhi, the 19th August, 1986

G.S.R. 728.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' Gazetted post) Recruitment Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Gazetted post) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to All India Radio (Group 'B' Gazetted post) Recruitment Rules, 1985, in Column 8, for the brackets, figure and words "(3 years course)", the brackets, figures and words "(2 years course)", shall be substituted.

NOTE.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated 6-3-62 vide Government notification, Ministry of I&B, No. GSR 34, dated 6-3-62 and was subsequently amended by,

(i) Government notification No. 301/4/83-B(D) A. II dated 8-8-85 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i).

[No. 301/4/83-B(D)-AII]

J. D. BHATIA, Under Secy.

परिष्कारन संत्रालय

(जल भूतल विभाग)

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1986

सा.का.नि. 728.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रयत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अम्बमान लक्ष्मीप बन्दरगाह संकर्म में मास्टर के समूह "क" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अम्बमान लक्ष्मीप बन्दरगाह संकर्म (मास्टर) भर्ती नियम, 1986 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती को पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उसके संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता वह व्यक्ति :—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिम्का पति या जिम्की पत्नी जोड़ित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जोड़ित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी अर्थ या प्रयोग के व्यक्तियों की बाधत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।

6. व्याप्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची :

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	धयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
मास्टर	1* (1986) *कार्यभार के आधार	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अनुसूचिणीय	1100-50- 1600 रु.	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुसूचियों या आदेशों के अनुसार	नहीं	आवश्यक : भारतीय नौसेना में मास्टर होम-ट्रेड शिप के रूप में या बिस्फ गामी पोत के नेट के रूप में